

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/465-26542/जो.जयपुर/2024/246

दिनांक- 12/4/24

अधीक्षक

मथुरादास माथुर चिकित्सालय,
जयपुर ।

विषय- इंदिरा, नर्सिंग ऑफीसर के अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इंदिरा, नर्सिंग ऑफीसर निदेशालय के आदेश क्रमांक 309 दिनांक 28.04.2020 के द्वारा इनका पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के अधीन किया गया । कार्मिका इससे पूर्व यूटीबी पर नर्सिंग ऑफीसर के पद पर आपके अधीन कार्यरत थी इस पद पर रहते हुये आपके द्वारा दिनांक 14.06.2020 से दिनांक 10.12.2020 तक (180 दिवस) तक आपके द्वारा प्रथम प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया है ।

कार्मिका द्वारा प्रसूति अवकाश उपभोग किये बिना ही दिनांक 06.08.2020 को मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में कार्यग्रहण किये जाने के कारण दिनांक 14.06.2020 से दिनांक 05.08.2020 तक का प्रसूति अवकाश संशोधित कर स्वीकृत करे एवं दिनांक 07.08.2020 से दिनांक 10.12.2020 (126 दिवस) का असाधारण अवकाश स्वीकृति किये जाने हेतु निर्धारित चेक लिस्ट में प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/465-26542/जो.जयपुर/2024/246

दिनांक- 12/4/24

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर ।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी लक्ष्मणगढ, सीकर ।
3. संबंधित कार्मिक को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ।
4. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को संबंधित को ई-मेल करे ।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6517615

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :12-04-2024 10:41:18